



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)
UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, HALDWANI (NAINITAL)

पत्रांक: यूओयू/परीक्षा/411(16)/2022/167

दिनांक 15/12/2022

सेवा में,

1. प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय - अध्यक्ष
2. प्रो० आर०सी० मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य वि०शा०, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी। - सदस्य
3. प्रो० गिरिजा पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान वि०शा०, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - सदस्य
4. प्रो० दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - सदस्य
5. प्रो० पी०डी० पंत, निदेशक, विज्ञान वि०शा०, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - सदस्य
6. डा० अखिलेश कुमार नवीन, निदेशक, विधि वि०शा०, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - सदस्य
7. डा० मदन मोहन जोशी, सह-आचार्य, इतिहास, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - सदस्य
8. डा० मंजरी अग्रवाल, सह-आचार्य, प्रबंध अध्ययन, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - सदस्य
9. प्रो० सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - सदस्य सचिव
10. श्री विमल कुमार मिश्र, उप कुलसचिव, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य
11. डा० जितेन्द्र पाण्डे, सह-आचार्य, कम्प्यूटर साईंस, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य
12. डा० आशुतोष कुमार भट्ट, उप परीक्षा नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य
13. डा० ज्योति रानी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य
14. श्री सुनील कुमार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य
15. श्री पंकज कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक परीक्षा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य
16. श्री नवनीत कुमार, सहायक निदेशक कम्प्यूटर, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य
17. श्रीमती कमला राठौर बिष्ट, कार्यालय सहायक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी - आमंत्रित सदस्य

विषय- परीक्षा समिति की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

महोदय/महोदया,

दिनांक 08 दिसम्बर 2022 को सम्पन्न हुई उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनोपरांत संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक: यथापरि।

भवदीय,

(प्रो० सोमेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक / सदस्य सचिव,
परीक्षा समिति

प्रतिलिपि सूचनार्थ- समस्त सदस्यों को ईमेल के माध्यम से प्रेषित।

1. सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को मा० कुलपति जी के विनम्र सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रति।

परीक्षा नियंत्रक



पत्रांक: यूओयू/परीक्षा/411(16)/2022/167

दिनांक 15/12/2022

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 08 दिसम्बर (वृहस्पतिवार) को सम्पन्न परीक्षा समिति की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

- | | |
|---|------------------|
| 1. प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय | - अध्यक्ष |
| 2. प्रो० आर०सी० मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य वि०शा०, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 3. प्रो० गिरिजा पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान वि०शा०, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 4. प्रो० दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 5. प्रो० पी०डी० पंत, निदेशक, विज्ञान वि०शा०, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 6. डा० अखिलेश कुमार नवीन, निदेशक, विधि वि०शा०, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 7. डा० मदन मोहन जोशी, सह-आचार्य, इतिहास, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 8. डा० मंजरी अग्रवाल, सह-आचार्य, प्रबंध अध्ययन, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य |
| 9. प्रो० सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - सदस्य सचिव |
| 10. श्री विमल कुमार मिश्र, उप कुलसचिव, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |
| 11. डा० जितेन्द्र पाण्डे, सह-आचार्य, कम्प्यूटर साइंस, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |
| 12. डा० आशुतोष कुमार भट्ट, उप परीक्षा नियंत्रक, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |
| 13. डा० ज्योति रानी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |
| 14. श्री सुनील कुमार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |
| 15. श्री पंकज कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक परीक्षा, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |
| 16. श्री नवनीत कुमार, सहायक निदेशक कम्प्यूटर, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |
| 17. श्रीमती कमला राठौर बिष्ट, कार्यालय सहायक, 30मु०वि०वि०, हल्द्वानी | - आमंत्रित सदस्य |

सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक (सदस्य सचिव, परीक्षा समिति) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष, परीक्षा समिति) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का परीक्षा समिति की 16वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्ताववार चर्चा की गयी तथा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :

प्रस्ताव-16.1- 15वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि

परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी 2022 के कार्यवृत्त का परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन दिया गया।

सदस्य सचिव
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

प्रस्ताव-16.2-परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी 2022 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही

परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी 2022 की कृत कार्यवाही की जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को विस्तृत रूप में दी गई तदनुसृत विचार विमर्श में सर्वसम्मति से कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव-16.3 यू0जी0 सी0 की गजट अधिसूचना 2021-22 से सत्रीय कार्य का भार 30 प्रतिशत तथा अन्तिम परीक्षा 70 प्रतिशत के संबंध में।

विश्वविद्यालय में सत्रीय कार्य का भार 30 प्रतिशत तथा अन्तिम परीक्षा 70 प्रतिशत के साथ लागू किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव-16.4

विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र जून-2022 से संबंधित परीक्षाओं में 03 प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम से भिन्न होने के संबंध में।

(A) परीक्षा तिथि दिनांक 03 अगस्त 2022 को प्रश्नपत्र सं0 MAED-506, दिनांक 30 अगस्त 2022 को प्रश्नपत्र सं0 MSCCH-508 एवं दिनांक 05 सितम्बर 2022 को प्रश्नपत्र सं0 MASO-605 की परीक्षा के प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप न होने के संबंध में प्रश्नपत्र निर्माता व मोडरेशनकर्ताओं पर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया है-

- यदि प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता स्थायी शिक्षक (वाह्य/आन्तरिक) के रूप में नियुक्त है तो संबंधित को विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्य से 02 वर्ष के लिए वंचित (Debar) किया जाय।
- यदि प्रश्नपत्र मोडरेशनकर्ता स्थायी शिक्षक (वाह्य/आन्तरिक) के रूप में नियुक्त है तो संबंधित को विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्य से 01 वर्ष के लिए वंचित (Debar) किया जाय।
- यदि प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता/मोडरेटर अस्थायी शिक्षक (वाह्य/आन्तरिक) के रूप में नियुक्त है तो संबंधित को स्थायी नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्य से वंचित (Debar) किया जाय।
- यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से लागू की जाय व भविष्य की परीक्षाओं में भी लागू करने पर पुर्नविचार किया जा सकता है। यह निर्णय अनन्तिम है तथा कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद ही स्थाई माना जायेगा।

- (B) परीक्षा तिथि दिनांक 03 अगस्त 2022 को प्रश्नपत्र सं० MAED-506, दिनांक 30 अगस्त 2022 को प्रश्नपत्र सं० MSCCH-508 एवं दिनांक 05 सितम्बर 2022 को प्रश्नपत्र सं० MASO-605 की परीक्षा के प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप न होने पर उक्त समस्त परीक्षाओं को निरस्त किया गया था। निरस्त की गई परीक्षाओं की दूसरी तिथि दिनांक 10 सितम्बर 2022 थी जिसमें कुछ परीक्षार्थी किसी कारण नई परीक्षा तिथि की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं। प्रथम परीक्षा की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस पर परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी की प्रथम उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कराया जाए तथा यह भी सत्यापित किया जाए कि नई परीक्षा तिथि में संबंधित विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उन्हीं उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जायेगा जिनके प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त होंगे।

प्रस्ताव-16.5 शीतकालीन परीक्षा सत्र (दिसम्बर 2021) से संबंधित परीक्षाफल घोषणा एवं नकल प्रकरण (UFM) के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परीक्षाफल घोषणा से अवगत होते हुए समिति के समस्त सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया एवं समिति द्वारा नकल प्रकरण के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव-16.6 परीक्षा विभाग में Data Processing Room/ Upgradation and Modernization of IT Infrastructure बनाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुई कार्यवाही के संबंध में।

परीक्षा विभाग के Data Processing Room/ Upgradation and Modernization of IT Infrastructure नाम को Examination Informatics नाम से संशोधित किया गया। Examination Informatics हेतु क्रय व अन्य कार्य कराये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई। परीक्षा सामाग्री क्रय हेतु परीक्षा नियंत्रक को क्रय समिति में सदस्य नामित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। तदनुसार परीक्षा क्रय की SOP तैयार कर कार्य परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव-16.7 UGC ODL रेगुलेशन 2020 के तहत मार्कशीट के नवीनतम प्रारूप के संबंध में।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न संस्तुति प्रदान की गई

1. उपाधि ऑनलाइन आवेदन पर आधार संख्या भरा जाना अनिवार्य होगा।
2. परीक्षा केन्द्रों में व्यवस्थानुसार परीक्षाओं की विडियों रिकाडिंग अपेक्षित है।
3. परीक्षार्थियों को दी जाने वाली वर्तमान में विद्यमान मार्कशीट/ट्रांसक्रिप्ट के प्रारूप पर अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव-16.8 परीक्षा विभाग को तत्काल सामग्री की आवश्यकता होने पर प्रतिमाह अनुषांगिक राशि दिये जाने के संबंध में।

परीक्षाओं के दौरान व परीक्षा के अन्य कार्य तत्काल कराये जाने हेतु परीक्षा विभाग को कोई धनराशि देय नहीं है। परीक्षा कार्य व्यवस्था के संचालन व समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु आवश्यक है कि परीक्षा विभाग को अनुषांगिक व्यय के रूप में प्रत्येक माह रु. 15000/- की राशि प्रदान की जाए जिसका समायोजन विभाग द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत किया जायेगा। सर्वसम्मति से वित्तीय उपासय होने के कारण प्रस्ताव को वित्त समिति को संदर्भित किया गया

प्रस्ताव-16.9 MBA पाठ्यक्रम के शिक्षार्थी श्री आशीष मट्टू (नामांकन सं० 19181575) प्रकरण के संबंध में।

प्रस्ताव से अवगत होते हुए कुलपति जी द्वारा गठित समिति की सुस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्रकरण के निस्तारण पर सहमति दी गई।

प्रस्ताव-16.10 विश्वविद्यालय की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में परीक्षा कार्य हेतु संलग्न कार्मिकों को दिये जाने प्रोत्साहन राशि के संबंध में।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान तृतीय व चतुर्थ कार्मिकों को परीक्षा कार्य हेतु परीक्षा केन्द्रों में भेजा जाता है इस हेतु रु० 500/- प्रति व्यक्ति की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कोविड-19 संक्रमण पर विश्वविद्यालय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा केन्द्रों में भेजने जाने वाले उक्त कार्मिकों को रु० 1000/- की प्रोत्साहन राशि देय होगी एवं यह व्यवस्था कोविड-19 नियम लागू होने तक ही मान्य होगी।

विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाएं माह फरवरी-2023 में प्रस्तावित है परीक्षा केन्द्रों में रहने व बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि रु० 500/- को बढ़ाकर रु० 1000/- किये जाने के संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गई परन्तु वित्तीय उपासय प्रकरण होने के कारण यह प्रस्ताव भी वित्त समिति को संदर्भित किया गया।

प्रस्ताव-16.11 परीक्षा विभाग में संलग्न समूह (ग) एवं (घ) कार्मिकों को दिये जाने वाले विशेष मानदेय के अतिरिक्त दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।

परीक्षा विभाग के कार्मिकों द्वारा अवकाश दिवस में कार्य करने व अतिरिक्त कार्य करने में संलग्न समूह (ग) एवं (घ) कार्मिकों को विशेष मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि रु० 2500/- भुगतान की जाती है। कार्मिकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर रु० 5000/- किये जाने के संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गई परन्तु वित्तीय उपासय प्रकरण होने के कारण यह प्रस्ताव भी वित्त समिति को संदर्भित किया गया।

प्रस्ताव-16.12 पीएच0 डी0 प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुल्क में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा से संबंधित शुल्क में वृद्धि व अन्य समस्त प्रस्ताव निदेशक शोध के माध्यम से कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई। शोध निदेशक के माध्यम से यह प्रस्ताव वित्त समिति को भेज दिये जाए।

प्रस्ताव-16.13 विश्वविद्यालय की आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से संबंधित परीक्षा केन्द्रों के निर्धारित मानदेय भुगतान दरों में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय की समस्त प्रवेश परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारित मानदेय भुगतान दरों में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव वित्तीय उपासय होने के कारण यह प्रकरण वित्त समिति को संदर्भित किया गया।

प्रस्ताव-16.14 प्रति वर्ष परीक्षार्थियों की संख्याओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन प्रक्रिया लागू किये जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन कराये जाने के प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं केन्द्रीय मूल्यांकन के स्वरूप परीक्षण व अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हेतु कमेटी के गठन के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव-16.15 विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र जून-2022 से संबंधित पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के परियोजना कार्य में प्राप्त अंको के संबंध में परीक्षार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय से की गई शिकायत व परियोजना कार्य के पुर्नमूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में।

प्रस्ताव से अवगत होते हुए कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तदनुरूप पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के परियोजना कार्य प्रकरण से संबंधित परीक्षार्थियों के परियोजना कार्य हेतु गठित समिति के निर्णयानुसार पुर्नमूल्यांकन कराये जाने पर सहमति दी गई है कि ऐसे परियोजनाकार्य को पुर्नमूल्यांकित किया जा सकता है परन्तु कार्य परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

सदस्य सचिव
 विश्वविद्यालय
 प्रो. वि. क. प्रो. वि. क.
 इलाहाबाद (मैत्रीताल) उत्तराखण्ड

प्रस्ताव-16.16 परीक्षाओं के दौरान परीक्षा कार्य हेतु संलग्न किये जाने वाले शिक्षक (AC) को पारिश्रमिक राशि भुगतान किये जाने के संबंध में

परीक्षा कार्य के सफल संचालन हेतु परीक्षा अनुभाग में निम्न स्थायी शिक्षक व अस्थायी शिक्षकों को संबद्ध किया जाता है।

1. उप परीक्षा नियंत्रक कुल 02 (स्थायी शिक्षक)
2. सहायक परीक्षा नियंत्रक हेतु पूर्व व्यवस्थानुसार ही कुल 03 सहायक परीक्षा नियंत्रक (स्थायी शिक्षक) ही नियुक्त किये जायेंगे।
3. 02 परीक्षा सहायक (अस्थायी शिक्षक) संलग्न होंगे। इस कार्य हेतु रू0 5000/- प्रति सदस्य देय होगा जिनका कार्यकाल को कुलपति जी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
4. पूर्व सहायक परीक्षा नियंत्रक डा0 देबकी सिरोला को मानदेय की आधी राशि रू0 5000/- भुगतान किये जाने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
5. परीक्षा में संलग्न सदस्यों उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं परीक्षा सहायक यदि परीक्षाओं के मध्य पद छोड़कर जाते हैं तो उन्हें मानदेय की आधी धनराशि ही देय होगी।

प्रस्ताव-16.17 विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं के संबंध में।

विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाएं माह फरवरी-2023 में आयोजित कराये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई तथा परीक्षा तिथि तय करने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव-16.18

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यकिय प्रस्ताव

1. सत्रीय कार्य परीक्षा पूर्व ऑनलाइन प्रक्रियानुसार ही सम्पादित की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली के तहत क्रियान्वयक हेतु निम्न समिति के गठन पर सहमति दी गई। कमेटी की सिफारिशों को कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय की आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र की परीक्षाओं से लागू किया जा सकता है।

- | | |
|---|--------------|
| 1. प्रो0 आर0सी0 मिश्र, निदेशक, सीका | — अध्यक्ष |
| 2. प्रो0 सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, | — सदस्य सचिव |
| 3. डा0 जितेन्द्र पाण्डे, सह-आचार्य | — सदस्य |
| 4. डा0 आशुतोष कुमार भट्ट, उप परीक्षा नियंत्रक | — सदस्य |
| 5. श्री नवनीत कुमार, सहायक निदेशक आईटी0 | — सदस्य |

सदस्य सचिव
 कुलपति विश्वविद्यालय
 इलाहाबाद (नेनीताल) उत्तराखण्ड

2. दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थी केन्द्रित होने के कारण विश्वविद्यालय में सबके लिए उच्च शिक्षा के ध्येय वाक्य को आधार मानते हुए शिक्षार्थी हित में समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि सुधार परीक्षा आवेदन एवं स्कूटनी आवेदन (केवल लिखित परीक्षा) की सुविधा समस्त प्रश्नपत्रों में दी जा सकती है। स्कूटनी आवेदन का नियम आगामी शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसम्बर 2022 की परीक्षाओं से तथा सुधार परीक्षा आवेदन का नियम ग्रीष्मकालीन सत्र में होने वाली परीक्षाओं से लागू किया जायेगा।
3. परीक्षा समिति की 10वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 10.9 के क्रम में पूर्व नियम यथावत रहेंगे। उक्त के क्रम में परीक्षार्थी वि०वि० से उत्तरपुस्तिका प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर ही उत्तरपुस्तिका में लिखे गये उत्तरों की पुनःजांच/परीक्षण हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से परीक्षा संबंधी शिकायती प्रकोष्ठ (Grievances Committee Related to Exam) को प्रस्तुत करेंगे। समयवधि समाप्त होने के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्राप्त समस्त आवेदनों पर कार्यवाही एक साथ ही सम्पन्न कराई जायेगी। यह नियम आगामी शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसम्बर-2022 की परीक्षाओं से लागू होगा।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सदस्य सचिव, (परीक्षा नियंत्रक) द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सदस्य सचिव,
परीक्षा समिति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
दिल्ली (नेनीताल) उत्तराखण्ड

अध्यक्ष,
परीक्षा समिति